कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार)
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)
आई.एस.ओ. 9001:2015 द्वारा प्रमाणित
Certified with ISO 9001:2015

क्षेत्रीय कार्यालय (दिल्ली) / Regional Office (Delhi)
तृतीय एवं चतुर्थ तल, राजेंद्र भवन,राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली-110008
3rd and 4th Floor, Rajendra Bhawan
Rajendra Place, New Delhi – 110008
Phone: 011-25734381, 25745044 Email : rd-delhi@esic.nic.in
Website : www.esic.nic.in / www.esic.in

F.No.- 111-ए-33/16/02/MACP/ACP/PHARM./2021 प्रशा.2 दिनांक:- 12/06/2025

कार्यालय आदेश संख्या- 172 वर्ष 2025 प्रशा- 2

दिनांक 20-05-2025 को आयोजित समीक्षा/देय विभागीय छान-बीन समिति ने मुख्यालय के पत्र संख्या ए-33/12/1/2018 चि. VI, दिनांक 20/02/2020 में दिए जारी दिशा-निर्देशों/निर्देशों के अनुसार 01/01/2006 से निम्नलिखित फार्मासिस्टों को एमएसीपी के मामले की पुन जांच की है। है। मुख्यालय के पत्र संख्या ए-33/12/1/2018.चि.VI, दिनांक 09.10.2019 के अनुसार "**एनएफजी के तहत 2 साल पूरे होने के बाद फार्मासिस्ट को 4200 रुपये का ग्रेड वेतन एमएसीपी के तहत उन्नयन के रूप में गिना जाना होगा। तत्पश्चात् दूसरे एवं तीसरे वित्तीय उन्नयन का लाभ पात्र भेषज्ञों को 4600/- रुपये और 4800/- रुपये के ग्रेड में उनकी 20 और 30 साल की निरंतर नियमित सेवा पूरी करने पर या एकल ग्रेड वेतन में 10 साल के ठहराव, जो भी पहले हो, पर दिया जाएगा।" डीओपीटी ने अपने पत्र संख्या-35014/1/2014-स्था.डी, दिनांक 10.06.2015 के माध्यम से यह भी कहा है कि ग्रेड वेतन 2800 रुपये में नियमित सेवा के 2 साल बाद ग्रेड वेतन 4200 रुपये** का अनुदान पहली **एमएसीपी** के रूप में माना जाना चाहिए। उपर्युक्त डीओपीटी पत्र का संज्ञान लेते हुए क.रा.बी.निगम (मुख्यालय) ने अपने पत्र संख्या-जेड-11/15/1/2012-चि.VI, दिनांक 11 जुलाई, 2017 के माध्यम से फार्मासिस्टों को एमएसीपी योजना के तहत ग्रेड वेतन 5400 रुपये का अनुदान पहले ही रोक दिया है।

मुख्यालय के पत्र संख्या ए-33/12/1/2018 चि.VI, दिनांक 20/02/2020 के अनुसार दिशानिर्देशों / निर्देशों और दिनांक 20-05-2025 को आयोजित समीक्षा/ देय विभागीय छान-बीन समिति की सिफारिश के आधार पर, क्षेत्रीय निदेशक (दिल्ली) ने निम्नलिखित फार्मासिस्टों के संबंध में उनके नाम के सामने उल्लिखित तिथि से एवं वेतन स्तर पर एसीपी/एमएसीपी योजना के तहत वित्तीय उन्नयन को मंजूरी दी है: -

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम (श्री / सुश्री)	पदनाम	प्रारंभिक संवर्ग नाम के साथ नियमित आधार पर नियुक्ति की तिथि	पुरानी एसीपी योजना में अर्जित वित्तीय उन्नयन (FU) की तिथि में संशोधन का विवरण।		एमएसीपी योजना के अंतर्गत वर्तमान में वित्तीय उन्नयन (FU) के लिए पात्रता की तिथि ।			वर्तमान तैनाती स्थान
				12 वर्ष	24 वर्ष	1st MACP	2nd MACP	3rd MACP	
1	Vikas Yadav (EID-149063)	Pharmacist	02.05.2011 (Level-5)			02.05.2013 (GP-4200) Level-6			ESID Dwarka/Palam
2	Darshan Kumar (EID-105240)	Pharmacist	28.07.1989 (Rs 1350-2200)	01.01.2006 (Rs 5000-8000)			12.01.2014 (GP-4600) Level-7	12.01.2024 (GP-4800) Level-8	ESID Jwalapuri
3	Hemant Kumar (EID-145815)	Pharmacist	05.05.2011 (Level-5)				05.05.2023 (GP-4600) Level-7		ESID Jahangirpuri

एमएसीपी योजना के तहत वित्तीय उन्नयन उपर्युक्त कर्मचारियों के लिए विशुद्ध रूप से व्यक्तिगत है और उनकी वरिष्ठता की स्थिति के लिए कोई प्रासंगिकता नहीं होगी। इस प्रकार वरिष्ठ कर्मचारी के लिए इस आधार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय उन्नयन नहीं होगा कि ग्रेड में कनिष्ठ कर्मचारियों को एसीपी/एमएसीपी योजना के तहत अधिक वेतन मिला है। एमएसीपी के तहत अनुमत वित्तीय हितलाभ अंतिम होगा और नियमित पदोन्नति के समय कोई नियतन हितलाभ नहीं मिलेगा अर्थात उच्चतर ग्रेड में कार्यात्मक पद हेतु तैनाती।

उपर्युक्त पदाधिकारी इस आदेश जारी होने की तारीख से एक महीने के भीतर एफआर 22 (1) (ए) (i) के तहत गणना के रूप में वेतन नियतन के लिए अपने विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं।

हालांकि, एमएसीपी योजना के तहत वित्तीय उन्नयन, भारत सरकार, डीओपीटी, का.ज्ञापन सं. 35034/3/2008-स्था. (डी), दिनांक 19.05.2009 और फा.सं. 35034/3/2015-स्था. (डी), दिनांक 27/28-09-2016 के साथ-साथ मामले में समय-समय पर जारी किए गए स्पष्टीकरण/अनुदेश के तहत गणना किए गए निबंधन और शर्तों के अधीन होगा।

नियंत्रक प्राधिकारी यह सुनिश्चित करे कि संबंधित अधिकारी की सेवा पुस्तिकाओं में उपर्युक्त कार्यालय आदेश की संबंधित प्रविष्टियां की जाएं और वेतन नियतन के संबंध में आवश्यक कार्रवाई शुरू की जाए।

Digitally signed by
RAJSHEKHAR SINGH
Date: 12-06-2025
15:49:21

(राजशेखर सिंह)

उप-निदेशक (प्रशासन-2)

<u>प्रतिलिपि</u>

1. संबन्धित कर्मचारी को उनके वर्तमान नियंत्रक अधिकारी द्वारा Website पर उपलब्ध आदेश की प्रतिलिपि द्वारा।
2. संबन्धित कर्मचारी की वैयक्तिक फ़ाइल (स्था॰-2), निदेशक (चि) दिल्ली।
3. निदेशक, निदेशालय (चि) दिल्ली |
4. प्रभारी बीमा चिकित्सा अधिकारी, क.रा.बी.नि द्वारका/पालम, जहांगीरपुरी, ज्वालपुरी |
5. ओ.एस.डी. आई.टी सेल(चि),/आईसीटी दिल्ली को वैबसाइट पर अपलोड करने के आग्रह के साथ।
6. गार्ड फ़ाइल।